लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करना

फा.सं. 407/06/2014-IV(बी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
....

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक : 17 जनवरी, 2014

लोकपाल के अध्यक्ष के एक पद और सदस्यों के आठ पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। लोकपाल में सदस्यों के चार पद न्यायिक सदस्यों के और चार पद गैर न्यायिक सदस्यों के होंगे।

<u>अर्हताएं</u>

2. लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (वर्ष 2014 का 1) जिसमें इन पदों के लिए निहित अर्हताएं निम्नलिखितानुसार हैं:

"3. (*1*) इस अधिनियम के आरंभ होने पर और इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ एक निकाय, जिसे 'लोकपाल' कहा जाएगा, स्थापित किया जाएगा।

(*2*) लोकपाल में निम्नलिखित शामिल होंगे -

(क) एक अध्यक्ष, जो भारत का मुख्य न्यायधीश हो अथवा रह चुका हो अथवा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो अथवा उप-धारा (*3*) के खण्ड (*ख*) में उल्लिखित पात्रता को पूरा करता हो; तथा

(*ख*) ऐसे सदस्यों की संख्या आठ से अधिक नहीं होगी, जिसमें से 50% न्यायिक सदस्य होंगे:

बशर्ते कि लोकपाल के सदस्यों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं की संख्या 50 प्रतिशत से कम न हो।

(3) कोई व्यक्ति नियुक्ति का पात्र होगा,

(क) एक न्यायिक सदस्य के रूप में यदि वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या रह चुका हो ।

(ख) न्यायिक सदस्य से इतर सदस्य के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा, यदि वह पूर्ण निष्ठा और उत्कृष्ट योग्यता वाला है और उसे भ्रष्टचार रोधी नीति, लोक प्रशासन, सतर्कता, बीमा और बैंकिंग सहित वित्त, विधि एवं प्रबंधन से संबंधित मामलों में कम से कम 25 वर्ष का विशेष ज्ञान और दक्षता प्राप्त है ।

(4) अध्यक्ष या सदस्य :-

(i) संसद सदस्य या किसी राज्य या संघ शासित विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए;
(ii) नैतिक भ्रष्टता वाले किसी अपराध में दोषसिद्ध नहीं होना चाहिए;
(iii) अध्यक्ष या सदस्य जैसा भी मामला हो, के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि को वह व्यक्ति 45 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए;
(iv) किसी पंचायत या नगरपालिका का सदस्य नहीं होना चाहिए;
(v) वह संघीय सेवा या राज्य सेवा से हटाया या बर्खास्त किया गया नहीं होना चाहिए और वह किसी न्यास या लाभ (अध्यक्ष या सदस्य के पद को छोड़कर) का पद धारण नहीं करेगा और किसी राजनीतिक पार्टी से संबंद्ध नहीं होगा और तदनुसार कोई वाणिज्य या व्यवसाय नहीं चलाएगा और अध्यक्ष या सदस्य जैसा भी मामला हो के रूप में अपनी नियुक्ति से पूर्व यदि :-

(क) वह किसी न्यास या लाभ का पद धारण करता है, तो उसे ऐसे पद से त्याग पत्र देना होगा;
(ख) यदि वह कोई व्यापार कर रहा है तो ऐसे व्यापार कार्य और उसके प्रबंधन से अपना संबंध तोड़ना होगा;

(ग) यदि वह कोई व्यवसाय कर रहा है तो उसे बंद करना होगा ।

चयन प्रक्रिया :-

3. लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) के अनुसार, अध्यक्ष एवं सदस्य, राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किए जाएंगे जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :-

(क) प्रधानमंत्री – अध्यक्ष

(ख) लोक सभा का अध्यक्ष – सदस्य

(ग) लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष – सदस्य

(घ) भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामांकित उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश – सदस्य

(ङ) उर्पयुक्त खंड (क) से (घ) में संदर्भित अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा अनुशंसित एक प्रख्यात न्यायविद्, राष्ट्रपति द्वारा नामांकित – सदस्य

4. इस अधिनियम की धारा 4(3) के अनुसार इन पदों का चयन प्रवर समिति द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए गठित सर्च समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा । सर्च समिति से संबंधित संगत नियम www.persmin.nic.in पर देखे जा सकते हैं ।

कार्यकाल :

5. अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से **पांच वर्ष** अथवा सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने जो भी पहले हो तक के लिए पद पर बने रहेंगे।

वेतन और भत्ते:

6. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 7 के अनुसार,

(i). अध्यक्ष का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों के समान होगी,

(ii). अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों के समान होंगी।

बशर्ते कि यदि अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य, अपनी नियुक्ति के समय, भारत सरकार, राज्य सरकार के अंतर्गत किसी विगत सेवा के संबंध में पेंशन (नि:शक्तता पेंशन को छोड़कर) प्राप्त कर रहा हो तो अध्यक्ष अथवा सदस्य जैसा भी मामला हो, के रूप में सेवा के संबंध में उसका वेतन घटाया जा सकता है -

(क) उस पेंशन की राशि के बराबर; तथा

(ख) यदि उसने ऐसी नियुक्ति से पूर्व, ऐसी विगत सेवा के संबंध में उसको देय पेंशन के अंश के बदले में सारांशीकृत मूल्य प्राप्त किया हो, तो पेंशन के उस अंश की राशि के बराबर;

बशर्ते यह भी कि अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य को देय वेतन, भत्ते और पेंशन तथा सेवा की अन्य शर्तें उसकी नियुक्ति के पश्चात परिवर्तित नहीं की जाएंगी जिससे उसे हानि हो।

<u>आवेदन कैसे करें:</u>

7. पात्र अभ्यर्थियों के नामांकन आमंत्रित करने के लिए रिक्तियों का परिचालन उच्च्तम न्यायालय के रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रारों, राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों और केंद्र सरकार के विभागों और मंत्रालयों के सचिवों में किया गया है। पात्र अभ्यर्थियों से सीधे आवेदन आमंत्रित करने के लिए भी रिक्तियां विज्ञापित की गई हैं।

8. सभी आवेदक चाहे पूर्ववर्ती पैराग्राफ में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों में से किसी प्राधिकारी द्वारा नामांकित किए गए हो अथवा विज्ञापन के प्रत्युत्तर में सीधे आवेदन कर रहे हों, संलग्न निर्धारित प्रोफार्मा में अपने आवेदन प्रस्तुत करें। निर्धारित प्रोफार्मा में प्राप्त नहीं होने वाले आवेदनों को सीधे ही निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन फार्म को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट: www.persmin.nic.in से डाउनलोड भी किया जा सकता है।

9. सभी दृष्टि से पूर्ण और आवेदकों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित आवेदनों को सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कमरा सं. 112, प्रथम तल, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 के पते पर भेजा जाए जो अधिकतम **7 फरवरी, 2014 को सांय 5.30 बजे** तक पहुंच जाएं। इस नियत तिथि के पश्चात प्राप्त हुए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। यह विभाग आवेदन के किसी भी कारण से विलंब होने/गुम हो जाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। आवेदन के लिफाफे पर **"लोकपाल के अध्यक्ष/सदस्य, पद के लिए आवेदन"** लिखा जाएगा।

....

लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के पदों के लिए आवेदन का प्रोफार्मा

'(प्रोफार्मा भरने से पहले कृपया संबंधित अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें)

कृपया पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो चिपकाएं

(आवेदन के किसी कॉलम को रिक्त न छोडें । सभी कॉलमों में मांगी गई पूरी सूचनाएं भरें, अथवा जहां लागू न हो वहां "शून्य" लिखें)

1.	**आवेदित पद:** **(कृपया उल्लेख करें कि आवेदन लोकपाल के अध्यक्ष पद के लिए है या सदस्य पद के लिए।** **(यदि आप दोनों पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो कृपया अलग-अलग आवेदन-पत्रों का प्रयोग करें ।)**	**अध्यक्ष/सदस्य**
2.	**यदि आवेदन सदस्य पद के लिए है, तो कृपया यह सूचित करें कि आवेदन न्यायिक सदस्य या गैर-न्यायिक सदस्य के पद के लिए है ।**	**न्यायिक सदस्य/** **गैर-न्यायिक सदस्य** **(जो लागू न हो उसे काट दें)**
3.	आवेदक का नाम (पूरा नाम)	
4.	जन्म की तारीख (-------/-------/--------------)	
5.	क्या आवेदक अ.जा./अ.ज.जा./ अ.पि.व./अल्पसंख्यक अथवा महिला श्रेणी से संबंधित हैं यदि हां, तो कृपया श्रेणी का उल्लेख करें	**हां/नहीं** (जो लागू न हो उसे काट दें) **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला** (जो लागू न हो उसे काट दें)

6.	वर्तमान पता:	
7.	स्थायी पता :	
8.	सम्पर्क सूत्र दूरभाष सं. (एसटीडी सहित) मोबाईल सं. फैक्स सं. ई-मेल आईडी	
9.	शैक्षणिक योग्यताएं	
10.	प्रसिद्धि क्षेत्र	
11.	वर्तमान व्यवसाय	
12.	**नामित आवेदक या सीधे आवेदक (रिक्तियों को पात्र अभ्यर्थियों का नामांकन आमंत्रित करते हुए उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रारों, राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों के सचिवों में परिचालित किया गया था। इन एजेंसियों द्वारा नामांकित आवेदक नामांकित अभ्यर्थी की श्रेणी पर सही का चिह्न लगाएंगे। रिक्तियों को पात्र अभ्यर्थियों से सीधे आवेदन आमंत्रित करने के लिए भी विज्ञापित किया था। इसके प्रत्युत्तर में सीधे आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सीधे आवेदक माना जाएगा।)**	नामित आवेदक/सीधे आवेदक **(जो लागू न हो उसे काट दें)**
13.	**सीधे आवेदक के मामले में आवेदक की संस्तुति करने वाले व्यक्ति का ब्यौरा दें ।**	संस्तुतिकर्ता का नाम: संस्तुतिकर्ता द्वारा धारित प्रमुख पद :

	[सभी सीधे आवेदक एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति की संस्तुति भी मूल रूप में संलग्न करें, जो सतर्कता से जुड़ा हुआ हो या जुड़ा रह चुका हो या भ्रष्टाचाररोधी मामलों को देख रहा हो।]	संस्तुतिकर्ता की उपलब्धियां :
14.	क्या संस्तुति-पत्र संलग्न है?	हां/नहीं **(जो लागू न हो उसे काट दें)**
15.	अन्य उपलब्धियों तथा कार्य अनुभव सहित विस्तृत जीवनवृत्त (कृपया अलग से विवरण संलग्न करें)	
16.	आवेदित पद की पात्रता शर्तों को पूरा करने के संबंध में आवेदक का विस्तृत औचित्य (कृपया जहां उचित हो, अधिकतम 200 शब्दों का विवरण संलग्न करें)	

घोषणा

मैं,...उपर्युक्त आवेदक एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त तथा संलग्न विवरणों में दिए गए ब्यौरे मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही हैं । मैं यह भी समझता हूं कि यदि इस आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है, मेरा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा ।

दिनांक: हस्ताक्षर:

स्थान: नाम: